Regarding addressing the issue of Cow slaughter and zero tolerance policy on the issue cattle trafficking

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में देशभर में बढ़ते गौ अत्याचार की चिंताजनक घटनाओं का गंभीर मुद्दा उठाना चाहती हूँ । भारत में लगभग 30 करोड़ गौ वंश है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की मजबूत धुरी है । केवल जनवरी, 2024 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में 699 गौ हत्या तथा 1,200 तस्करी के मामले दर्ज हुए । इसी अवधि में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सात दिनों में 70 प्रकरण दर्ज कर 527 पशुओं को मुक्त कराया गया । यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अवैध तस्करी और संगठित अपराधों के माध्यम से गौ वंश पर खतरा लगातार बढ़ रहा है । इसके अतिरिक्त, 2024 में पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फुट-एंड-माउथ रोग, हैमरेजिक सेप्टीसीमिया तथा एंथ्रेक्स जैसे रोगों से सैकड़ों गौवंश की मृत्यु दर्ज की गई । मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगभग 200 मृत गायों की घटनाएँ सामने आई है ।

माननीय अध्यक्ष **:** आपकी मांग क्या है?

श्रीमती भारती पारधी**:** मेरा सुझाव है कि गौ तस्कर और गौ हत्या पर राष्ट्रीय स्तर की जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाए । देशव्यापी गौ संरक्षण प्रबंधन मिशन प्रारंभ किया जाए । गौवंश की डिजिटल ट्रेंडिंग व माइक्रो चिपिंग तथा सौ प्रतिशत टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाए । यह केवल पशुओं के कल्याण का विषय नहीं है, बल्कि (व्यवधान)